(250) (358)

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

R. 5218-दो/15

Rs 30/-

रामलली गर्ग उम्र 63वर्ष धर्मपत्नी श्री रामहेतु गर्ग कौम–हिन्दू, व्यवसाय–ग्रहकार्य, निवासी कृष्णनगर, थाना कोलगवां तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0--------------निगराकार

विरूद्ध

इन्द्रजीत गुप्ता उम्र 68वर्ष पुत्र श्री अनन्तराम गुप्ता, कौम हिन्दू, व्यवसाय व्यांपार, निवासी कृष्णनगर थाना कोलगवां जिला सतना म0प्र0--------------------गैर निगराकार

श्री दिनेश श्रीवास्तव द्वारा आज दिनांक 11-12-15 को प्रस्तुत किया गया

रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध सीमांकन प्रकरण क्र0 42ए/12/2014–15 पुष्टि आदेश दिनांक 20.02.2015 द्वारा पारित श्रीमान राजस्व निरीक्षक महोदय वृत्त सतना प्रथम तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगराकार की ओर से सविनय निम्नलिखित आधारों पर निगरानी याचिका प्रस्तुत की जाती है :–

(01):– यह कि राजस्व निरीक्षक वृत्त सतना के द्वारा आवेदक इन्द्रजीत/गैर निगराकार से आवेदन पत्र प्राप्त कर राजस्व प्रकरण क्रमांक 42ए/12/2014–15 पंजीबद्ध किया

नि. अं. रामलली गर्ग

(250)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग.5218–II/2015 जिला–सतना

रामलली गर्ग/इन्द्रजीत गुप्ता

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त सतना प्रथम, तहसील रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 42/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 20.02.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	